न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 59/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. नूर मोहम्मद पिता मौलाबक्ष मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नाथु पिता मौलाबक्ष मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती शान्ता देवी पत्नी मीठालाल जी कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बहादुर पिता मिठु मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

2/1. सलीम मोहम्मद पिता स्वर्गीय बहादुर उर्फ बाबुदीन मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. मुबारिक हुसैन मोहम्मद पिता स्वर्गीय बहादुर उर्फ बाबुदीन मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. फारूख पिता स्वर्गीय बहादुर उर्फ बाबुदीन मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. समीम बानू पिता स्वर्गीय बहादुर उर्फ बाबुदीन मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/5. नसीम बानू पिता स्वर्गीय बहादुर उर्फ बाबुदीन मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/6. मेहरून बानू पिता स्वर्गीय बहादुर उर्फ बाबुदीन मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/7. मु. बरकम बानू पत्नी स्वर्गीय बहादुर उर्फ बाबुदीन मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3. कालूलाल पिता प्रताप जी कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. पन्नालाल पिता प्रताप जी कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. लादुलाल पिता छोगालाल जी कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. गोवर्धनलाल पिता छोगालाल जी कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

7. श्रीमती मनोरी बेवा पिता छोगालाल जी कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती झमकू बेवा मूलचन्द जी कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (नाम तर्क किया गया)
9. श्रीमती नाथी पुत्री मूलचन्द जी कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 05.06.2017 प्र.सं. 147/2010

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री आर. एल. रावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 28—01—2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा इन्द्राज दुरस्ती एवं राजस्व अभिलेखों में सही अंकन बाबत एक वाद हाल रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के संयुक्त स्वामित्व की आराजी नंबर 1129 रकबा 2 बिस्वा भूमि मौजा रेलमगरा में स्थित है, जिसके गत भूमाप के आराजी नंबर 665 रकबा 3 बिस्वा थे, जिसका वर्तमान रकबा 4 बिस्वा होना चाहिए। इस प्रकार 2 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गयी है, जो प्रतिवादी संख्या 1 की इस चाह आराजी नंबर 1129 के पूर्व दिशा में स्थित है, जिसके आराजी नंबर 3711 रकबा 39 बिस्वा रेकार्ड में अंकित है, जिसके गत भूमाप के आराजी नंबर 645 रकबा 10 बिस्वा व 666 रकबा 14 बिस्वा थे अर्थात कुल रकबा 24 बिस्वा था, जिसका संशोधित रकबा 30 बिस्वा ही बनता है, जबकि भू—प्रबन्ध विभाग की गलती से 39 बिस्वा बना दिया गया है। गत भूमाप में वादी चाह नंबर 1129 से अपनी आराजी नंबर 1140 में आने—जाने का 1 बिस्वा रास्ता दर्ज था, जिससे वादी आराजी नंबर 1140 में आता—जाता है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 हड़पने की नियत से उक्त रास्ता बन्द करना चाहती है, जबकि उक्त रास्ते का उपयोग वादीगण कदीमी समय से करते

चले आ रहे हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी नंबर 1129 के रकबे में संशोधन फरमाया जाकर 2 बिस्वा की बजाय 4 बिस्वा कायम किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी नंबर 1137 पर जो वर्तमान में नक्शे में उत्तर से दक्षिण पाली पर रास्ता बना हुआ है, उसे भी जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

उपरोक्त आशय के खण्डन का जवाब प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर 4 तनिकयात कायम की गयी तथा प्रकरा राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 05–06–2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व कैम्प में उनकी बिना जानकारी में निर्णय पारित किया गया, जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 11–09–2017 को हुई। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 05–06–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील 60 दिवस अर्थात दिनांक 04–08–2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु यह अपील दिनांक 11–10–2017 को अर्थात करीब 2 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत 2 माह हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र के अभिवचनों पर कोई गौर नहीं किया गया है तथा मनमकसूद तरीके से

दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी वादी का वाद खारिज करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण को वाद में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 4 तनकियात कायम किये जाने के बावजूद तनकियों पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा मात्र 4–5 लाईनों में प्रकरण का निस्तारण करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया है जो त्रुटि पूर्ण होकर जाब्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 5 के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें सुनकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–03–2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 28–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

नूर मोहम्मद पिता मौलाबक्ष मुसलमान निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **श्रीमती शान्तादेवी पत्नी मीठालाल कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जि. राजमसन्द व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **रेलमगरा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....05**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री आर.एल. रावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एस.एस. पालीवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–06–2017 अपास्त की जाती है तथा आराजी नंबर 1129 के रकबे में संशोधन किया जाकर 2 बिस्वा की बजाय 4 बिस्वा करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी नंबर 1137 के रकबे में संशोधन किया जाकर 39 बिस्वा की बजाय 30 बिस्वा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी नंबर 1137 पर जो वर्तमान में नक्शे में उत्तर से दक्षिण पाली पर रास्ता बना हुआ है, उसे भी जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.11 16:01:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: